कार्यकारी-सार

वित्तीय वर्ष 2015-16 (वि.व 16) के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण ₹ 2,87,149 करोड़ था और वि.व. 16 में अप्रत्यक्ष कर राजस्व का 40 प्रतिशत था।

इस प्रतिवेदन में ₹ 178.68 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर 93 लेखापरीक्षा आपत्तियां शामिल हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2016 तक ₹ 132.13 करोड़ राजस्व वाली लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था और ₹ 30.44 करोड़ की वसूली की सूचना दी। कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं: -

अध्याय I: राजस्व विभाग-केंद्रीय उत्पाद शुल्क

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व में वि.व 15 की तुलना में वि.व 16 में 52 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई।

(पैराग्राफ 1.7)

- वि.व 16 के दौरान, पेट्रोल और उच्च गति डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क में वृद्धि।

(पैराग्राफ 1.8)

- उत्पाद शुल्क के संबंध में वि.व 16 में छोड़ा गया राजस्व ₹ 2,24,940 करोड़ (सामान्य छूट के रूप में ₹ 2,05,940 करोड़ और क्षेत्र आधारित छूट के रूप में ₹ 19,000 करोड़) था जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राजस्व का 78.34 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 1.11)

- ₹ 92,162 करोड़ की भारी राशि का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व विभिन्न स्तरों पर मुकदमों के अधीन है। यह राशि प्रति वर्ष बढ़ रही है।

(पैराग्राफ 1.21)

अध्याय II: बकाया की वसूली

- 2012-13 की तुलना में 2014-15 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बकाया में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, पिछले तीन वर्षों में बकाया की वसूली में गिरावट देखी गई। चेन्नई-। कमिश्नरी- में बकाया में 387.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(पैराग्राफ 2.7)

- 12 कमिश्नरियों के तहत नमूना जांच किए गए 37 मामलों में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के अन्तर्गत वसूली की कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹ 95.87 करोड़ की वसूली नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.8.2)

- चार कमिश्नरियों में ₹ 137.81 करोड़ के राजस्व वाले 2 से 10 वर्षों से लम्बित नमूना जांच किए गए 23 मामलों में, जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन दर्ज नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 2.8.3)

- यदि विभागीय प्रयासों द्वारा कोई वसूली नहीं होती है तो मामलों को वसूली सैलों में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है जो चूककर्ता की सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूली की कार्रवाई करने के लिए सशक्त है। 2014-15 के दौरान 23 कमिश्नरियों में वसूली सैलों को कोई मामला हस्तांतरित नहीं किया गया था, ₹ 18,700.27 करोड़ की राशि वाले 15,388 मामले वसूली हेतु लम्बित थे। मामलों को हस्तांतरित न करने से न केवल वसूली सैल व्यर्थ हुए किन्तु बकाया का संचयन हुआ और उसकी कम वसूलियां हुई।

(पैराग्राफ 2.8.6)

- बोर्ड ने 2004 में एक केन्द्रीकृत कार्य बल (सीटीएफ) का गठन बकायों की वसूली में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठनों के प्रयासों के समन्वय, सुविधा जनक बनाने, निगरानी और निरीक्षण हेतु किया था। हमने पाया कि यद्यपि कार्य बल को बकायों की वसूली हेतु

नीतियों को अन्तिम रूप देने और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया था किन्तु इसने बकायों की वसूली के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। मार्च 2015 तक ₹ 63,925.42 करोड़ के कुल बकायों में से, ₹ 44,747.82 करोड़ ₹ 1,485.15 करोड़ और ₹ 77.07 करोड़ के बकायों के मामले क्रमशः सेसटेट, आयुक्त (अपील), और निपटान आयोग के पास लम्बित थे, जो वसूली के लिए कुल बकायों का 72.44 प्रतिशत बनता है।

(पैराग्राफ 2.11.1)

अध्याय III: आन्तरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

- हमने 750 निर्धारिती मास्टर फाइलों (एएमएफ) और 1125 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों (आईएएफ) की मांग की थी जिनमें से हमें क्रमशः 565 एएमएफ और 1039 आईएएफ प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पांच कमिश्नरियों ने लेखापरीक्षा योजना रजिस्टर, लेखापरीक्षा अनुवर्ती कार्रवाई रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया। एक विंग जो कि अनुपालन सत्यापन तंत्र का आधार है द्वारा अभिलेखों का घटिया अनुरक्षण विभाग की घटिया कार्य पद्धति को दर्शाता है।

(पैराग्राफ 3.6)

- ड्राफ्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट और चण्डीगढ़ में मै. अमृतसर, क्राउन्स कोप्स (प्रा) लि.) और कोलकाता मै. यंग इंडिया प्रीसट्रेस प्रा. लि. की लेखापरीक्षा II कमिश्नरीयों में क्रमशः 331 और 241 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.3)

- हमने आठ कमिश्नरियों में पाया कि कुल 580 आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइलों में से, 434 फाइलों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के मूल्यांकन के लिए कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी। तीन कमिश्नरियों में किसी भी आन्तरिक लेखापरीक्षा फाइल में कोई स्कोरिंग नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.4)

- कोचीन लेखापरीक्षा-I में मै.कन्चोर इनग्रिडिएंटस लि. और दिल्ली लेखापरीक्षा-I कमश्नरी में मै. त्रिमूर्ति फ्रेरेंस प्रा. लि की अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट क्रमशः 589 और 206 दिनों के विलम्ब से जारी की गई थी।

(पैराग्राफ 3.9.5)

अध्याय IV: नियमों और विनियमों का अननुपालन

- हमने सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ और उपयोग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के गैर/कम भुगतान के 35 मामले देखे जिनमें ₹ 73.99 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 4.1)

अध्याय V: आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

- हमने विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियों और अन्य विषयों के 56 मामलें देखे जिनमें ₹ 104.68 करोड़ का राजस्व शामिल था।

(पैराग्राफ 5.1)